(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 716–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–2–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 424/अपील/2006–07 ।

.....

1–मन्नालाल पिता प्यारेलाल देवड़ा
निवासी नीमच जिला नीमच
2–सुन्दरलाल पिता रामचन्द्र पंवार
निवासी ग्राम झाझरवाडा तहसील नीमच
जिला नीमच

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार ने अनावेदक कमांक 1 को प्रश्नाधीन शासकीय भूमि का पटटा दिनांक 27–7–1988 को दिया गया था । तहसीलदार द्वारा यह पाते हुये कि आवेदक राज्य परिवहन निगम में

कर्मचारी होकर भूमिहीन कृषक नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर दिनांक 8–3–2000 को आदेश पारित कर पटटा निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अवधि बाहय अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–5–07 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–2–2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी के दिनांक से समय सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी परन्तु उनके द्वारा अवधि बाह्य मानकर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण वर्ष 1988 से प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है और उनके द्वारा राशि व्यय कर प्रश्नाधीन भूमि को उपयोगी बनाया गया है ऐसी स्थिति में पटटा निरस्त करने में आवेदकगण के विरूद्ध अन्यायपूर्ण कार्यवाही हुई है जिसे निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ अपील न्यायालयों के विधिसंगत एवं समवर्ती आदेशों को स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदकपक्ष दिनांक 27–9–1995 को तहसील न्यायालय में उपस्थित थे, उसके बाद अनुपस्थित रहे। स्पष्ट है कि 5 साल बाद की गई अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय बाहय मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । गुणदोष के आधार पर भी आवेदकपक्ष भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है और वह प्रश्नाधीन ग्राम में निवास भी नहीं कर रहा था तथा राज्य परिवहन निगम की सेवा में नियुक्त कर्मचारी को भूमिहीन नहीं

माना जा सकता है, इसलिये अपात्र व्यक्ति आवेदक को पटटा दिया गया था, जिसे तहसीलदार ने विधिवत् पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर निरस्त किया है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर